116/2016
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

No. 1

अपील सूचना अधिकार संख्या 116/2016 अनवानी श्री राधेश्याम गोयल पुत्र स्व0 श्री भगवानदास गोयल जाति अग्रवाल निवासी 23 के ब्लॉक, श्रीगंगानगर बनाम तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

A3

11–02–2017

पत्रावली आज लोक अदालत में पेश हुई। अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल उपस्थित है। लोक सूचना अधिकारी के प्रतिनिधि श्री दिनेशकुमार पु.अ. उपस्थित है। दोनो पक्षो की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलार्थी का कथन है कि उसके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन पत्र दिनांक 1.06.2016 के द्वारा तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर से चाही गई 3 बिन्दुओ की सूचना उनके द्वारा उपलब्ध नही करवाई गई है जो उसे उपलब्ध करवाई जावे एवं लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध न करवाये जाने के कारण उनके विरूद्व अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे एवं उन पर 25000 रूपये का जुर्माना लगाया जावे।

उनका आगे कथन है कि उसके द्वारा चाही गई सूचना का संबंध अगर उनके कार्यालय से न होकर किसी अन्य कार्यालय से था तो उसका प्रा0 पत्र प्राप्ति से 5 दिवस के भीतर धारा 6(3) के तहत संबंधित विभाग को भिजवाया जाना चाहिए था जो नही भिजवाया गया है। इसलिए माननीय सूचना आयोग की अपील सं0 852/2010 राधेश्याम गोयल बनाम वरिष्ठ लेखाधिकारी जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर में पारित निर्णय 29.10.2010 व अपील सं0 4580/2015 राधेश्याम गोयल बनाम राज्य लोक सूचना अधिकारी, प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक एवं सुधार विभाग निर्णय दिनांक 20.09.2016 के अनुसार संबंधित विभाग से सूचनांए मंगवा कर दी जावे।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर के प्रतिनिधि का कथन है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना का उसे उत्तर दिनांक 05.07.2016 को दिया जा चुका है। अपीलार्थी द्वारा जो सूचना चाही गई है वह उनके कार्यालय से संबंधित नही है। अतः अपील खारिज की जावे।

मैने दोनो पक्षो के तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल ने अपने सूचना के अधिकार अधिनियम के आवेदन पत्र दिनांक 01.06.2016 के द्वारा तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर से निम्न सूचनांए चाही थीः–

1. श्रीमान आयुक्त नगरपरिषद, श्रीगंगानगर के पत्रांक 1659–61 दिनांक 15.04.2015 की पालना मे पत्र की बिन्दु संख्या 3 के अनुसार बीएलओ श्री सुभाष गोयल भाग संख्या 80 के डयूटी नियुक्ति आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि व सूचना चाहिये।
2. जिस पत्रांक से श्री सुभाष गोयल बीएलओ भाग सं.80 की डयूटी लगायी गयी उसकी सूचना व उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि।
3. कार्यालय के डयूटी लगाने वाले व पत्र पर कार्यवाही करने वाले कर्मकार का नाम व पद की सूचना।

अपीलार्थी के अपील पत्र पर तहसीलदार(राजस्व) श्रीगंगानगर ने अपना जबाब सं0 4884 दिनांक 29.07.2016 प्रस्तुत किया है कि अपीलार्थी द्वारा पूर्व में उक्त सूचना के संबंध में अपील प्रस्तुत की गई थी जो दिनांक 12.12.2015 को खारिज की जा चुकी है। अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के संबंध में उनके कार्यालय के पत्र सं0 4876 दिनांक 05.07.2016 के द्वारा पंजिकृत डाक से प्रार्थी को सूचि कर दिया गया था। अपीलार्थी द्वारा माननीय सूचना आयोग में भी अपील सं0 7962/2015 प्रस्तुत की थी जो खारिज हो चुकी है। इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज की जावे।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर द्वारा पत्र सं0 4876 दिनांक 05.07.2016 से अपीलार्थी को निम्नानुसार उत्तर दिया गया हैः–

शा.
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

116/2016

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

उपरोक्त विषयान्र्गत लेख है कि इस कार्यालय द्वारा किसी भी बीएलओ की डयूटी नही लगाई गई जाती है। इसलिये आप द्वारा चाही गई सूचना इस कार्यालय द्वारा उपलब्ध नही कराई जा सकती है।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के अनुसार अगर आवेदक द्वारा चाही गई सूचनांए यदि लोक सूचना अधिकारी के नियन्त्रणाधीन नही है तो उसे 5 दिवस की निर्धारित अवधि में संबंधित लोक सूचना अधिकारी को प्रार्थी का प्रा0 पत्र नियमानुसार अन्तरण करना चाहिए था जो निश्चित अवधि में अन्तरित नही किया गया है बल्कि अपने स्तर से ही निस्तारित कर दिया गया है जो सही नही है। इसलिए माननीय सूचना आयोग के उक्त निर्णयो को ध्यान में रखते हुए लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेश दिया जाता है कि इस आदेश प्राप्ति से 15 दिवस के भीतर संबंधित विभाग से वांछित सूचनांए अपने स्तर से मंगवा कर अपीलार्थी को निशुल्क उपलब्ध करवावें।

उपरोक्तानुसार अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (राजस्व) को पालनार्थ भेजी जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भी भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 11.02.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्ञाना राम)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर